दिनांक 17 सितम्बर 1988 को प्रातः 11.00 बजे विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर में आयोजित प्रबन्ध बोर्ड की बैठक का कार्यवृत ।

निम्नांकित सदस्य उपस्थित थे -

1. डा. के. एन. नाग — अध्यक्ष
2. श्री बी. डी. कल्ला
3. श्री हनुमान प्रसाद
4. प्रो. एम. वी. माथुर
5. श्री के. एस. मेहता
6. श्री सूर्यदेव सिंह पारडठ
7. डा. आर. सी. मेहता
8. डा. एस. एन. सक्सेना
9. डा. पी. एन. मेहरोत्रा
10. डा. एन. एल. अग्रवाल
11. डा. सीताराम चौधारी
12. श्री के. एस. माथुर
13. श्री बी. एस. उज्जवल
14. डा. एस. एल. माथुर — आमंत्रित
15. डा. जे. एस. भाटिया
16. श्री एस. पी. पुरोहित
17. श्री आर. एस. धारीवाल — सदस्य सचिव

डा. एस. एस. आचार्य, डा. आर. एस. पारोडा, प्रो. सतीशचन्द्र सचिव पशुपालन, शिक्षा सचिव, कृषि निदेशक, वित्त सचिव ने किन्हीं अपरिहार्य कारणों से बैठक में भाग नहीं लिया।

सर्व प्रथम अध्यक्ष महोदय ने सभी सदस्यों का स्वागत किया।

RAJAU/BOM-6/88-4/65: गत बैठक दिनांक 20 जून 1988 की प्रबन्ध बोर्ड के कार्यवृत की पुष्टि पर विचार किया गया ।

निर्णय लिया गया कि कार्यवृत की पुष्टि की जाय।

RAJAU/BOM-6/88-4/66: गत बैठक के कार्यवृत की क्रियान्विति के संबंध में कुलपति ने ध्यान दिलाते हुए कहा कि 20.6.88 को जो सुझाव बैठक के कार्यवृत के संबंध में दिये गये थे उन्हें सम्मिलित कर लिया गया है।

(अ) मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के जो कर्मचारी राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय में विकल्प दे चुके है थे उनके संबंध में राज्य सरकार से पत्र व्यवहार चल रहा है और राज्य सरकार से सरप्लस कर्मचारियों को ही इस विश्वविद्यालय में विकल्प लेनेके लिए ध्यान दिलाया है।

विचार विमर्श के बाद सभी सदस्यों ने इस बात का समर्थन किया कि केवल सरप्लस कर्मचारियों (मोहन लाला सुखाड़िया विश्वविद्यालय (पद की वरीयता के अनुसार) को ही इस विश्वविद्यालय के रिक्त पदों को भरना चाहिये जिससे कि बीकानेर में विश्वविद्यालय का प्रभाव बढ़े।

(ब) राज्य सरकार के आदेश संख्या 7(6)शिक्षा ग्रुप-2/88 दिनांक 8.9.88 द्वारा डूँगर कोलेज की कृषि संकाय व महारानी सुदर्शना कालेज की गृह विज्ञान संकाय को इस विश्वविद्यालय में स्थानान्तरित करनेके आदेश प्राप्त हो चुके हैं । कुलपति ने बताया कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा गठित समिति जो विश्वविद्यालय के निरीक्षण हेतु 11 - 14 जनवरी 1988 को आयी थी ने भी अपनी रिपोर्ट (प्रतिवेदन) में कहा है कि राज्य के सभी कृषि पाठ्यक्रमों को जो विश्वविद्यालय के बाहर चल रहे हैं और जिनका स्तर निम्न है उनके छात्रों को विश्वविद्यालय अपने यहाँ लेकर पठन पाठन कराये तथा ऐसे संस्थानों / कार्यक्रमों का बन्द कराये।

(स) कुलपति ने यह भी बताया कि शैक्षणिक परिषद् की गत बैठक उदयपुर में दिनांक 13-14 सितम्बर 1988 को जब हो रही थी तो बीकानेर से इन संकायों के विश्वविद्यालय में स्थानान्तरण की सूचना दूरभाष (टेलिफोन) पर दी गई और शैक्षणिक परिषद् के समक्ष विचार किया गया । शैक्षणिक परिषद् ने जो निर्णय किये हैं का सार इस प्रकार है :

1. सत्र 1988-89 से 10 प्लस 2 प्लस 4 कृषि स्नातक (आनर्स) बीकानेर में भी लागू होगा। इसी प्रकार 10 प्लस 5 एवं 10 प्लस 2 प्लस 3 का पाठ्यक्रम गृह विज्ञान में लागू होगे। इस प्रकार जिन विद्यार्थियों को कृषि में 10 प्लस 1 से प्री डिग्री में प्रवेश दिया गया है में उतीर्ण होने पर 10 प्लस 2 प्लस 4 बीएस.सी. कृषि (आनर्स) में प्रवेश लेंगे।

   इस पर विचार कर अध्यक्ष कृषि संकाय को निर्देश दिये कि वे तुरन्त प्री डिग्री पाठ्यक्रम की नयी रूपरेखा बनाकर कुलपति को प्रस्तुत करें और कुलपति को अधिकृत किया कि वे उसे तुरन्त लागू करें।

2. गृह विज्ञान में इस वर्ष प्रवेश नहीं दिये गये हैं अतः अगले सत्र में कृषि विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम को लागू किया जाय।

3. जो छात्र त्री वर्षीय पाठ्यक्रम (कृषि) कक्षा में हैं और जो छात्राएँ गृह विज्ञान कक्षा में गत वर्ष सत्र 1987-88 में प्रवेश ले चुके हैं उनके लिए पाठ्यक्रम अजमेर विश्वविद्यालय के अथवा राजस्थान विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों को कृषि विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम के रूप में अपनाये जाते हैं।

4. जो छात्र प्रथम वर्ष स्नातक में अनुतीर्ण होंगे उनके लिए दोनों संकायों के अधिष्ठाता समावेश की रूपरेखा तुरन्त प्रस्तुत करें।

कुलपति ने बताया कि इस सन्दर्भ में राज्य सरकार को दो योजनायें (एक कृषि महाविद्यालय की व दूसरी गृह विज्ञान महाविद्यालय की) स्वीकृत करने हेतु भेज दी गई थी और स्पष्ट किया थी कि जब तक राज्य सरकार से समुचित वित्तिय सहायता प्राप्त नहीं हो जाती तब तक इस विश्वविद्यालय को ऐसे पाठ्यक्रमों को बीकानेर में चलाने में बड़ी कठिनाइयों का सामना करना होगा। सभी सदस्यों ने कुलपति के विचारों का समर्थन किया लेकिन इन दोनों संकायों को लेकर तुरन्त पाठ्यक्रम की सुचित व्यवस्था की जावे और राज्य सरकार से यह अपेक्षा की है कि तुरन्त इन कार्यक्रमों के लिये इसी वर्ष अतिरिक्त धान राशि तुरन्त उपलब्ध करावें।

कुलपति ने इन पाठ्यक्रमों को सुचारू रूप से प्रभावशील करने हेतु इसी वित्तिय वर्ष में विशेष प्रावधान के सुझाव रखे जिनको प्रबन्ध बोर्ड ने स्वीकृत करते हुए राज्य सरकार से अपेक्षा की है कि आवश्यक अतिरिक्त धनराशि स्वीकृत करें

कृषि संकाय =

1. सह आचार्य (ग्रीनोमी) (1200-1900) पूर्व पुनरक्षित)	1 पद
2. कनिष्ठ लिपिक	1 पद
3. कृषि यन्त्र व कन्टेन्जेन्सी	1 लाख रूपये

गृह विज्ञान

1. सह आचार्य (1200-1900) पूर्व पुनरक्षित	1 पद
2. सहायक आचार्य (700-1600) ,,	3 पद
3. कनिष्ट लिपिक	1 पद
4. कन्टेन्जेन्सि	50हजार रूपये

(ब) कुलपति ने सूचित किया कि कार्यालय हेतु वर्किंग वूमेन होस्टल को किराये पर लेने की सूचना दी और सूचित किया कि दिनांक 12 सितम्बर 1988 को कब्जा प्राप्त कर लिया गया है। लेकिन भवन पूर्ण नहीं है और बैठने लायक भी नहीं है। बैठने लायक बनाकर मुख्य कार्यालय वहाँ ले जाया जाय।